न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 08/2016(2016/00099)

राजस्थान सरकार जरिये श्री भागचन्द गुर्जर, प्रवर्तन अधिकारी, मसूदा जिला–अजमेर।
.....प्रार्थी

बनाम

1. अमरसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह रावत निवासी–ग्राम अन्धेरी,तहसील–मसूदा (अजमेर)
.....अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्रीमति रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार
श्री जिनेश सोनी अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ. धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम

आदेश

दिनांक– 03.10.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि उपखण्ड अधिकारी मसूदा के निर्देशानुसार श्री हरिसिंह शेखावत तहसीलदार मसूदा मय गिरदावर, पटवारी, पुलिस जाप्ता के अतिक्रमण हटाने के दौरान अप्रार्थी अमरसिंह पुत्र गणपतसिंह के द्वारा ग्राम अन्धेरी देवरी के खसरा नं0 1428/927 में अवैध रूप से अतिक्रमण किया जाना पाया गया। वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी के पास अवैध रूप से डीजल भण्डारण करना भी पाया गया। जिनकी जांच करने पर 8 लोहे के ड्रमों एवं 4 प्लास्टिक जरीकेनों में कुल 1800 लीटर डीजल पाया गया जो अप्रार्थी द्वारा अपने बाडे में घास के चारे में छिपाकर रखा हुआ था। बरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा जांच दल के समक्ष उक्त डीजल भण्डारण की अनुमति के संदर्भ में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये एवं ना ही डीजल प्राप्ति एवं उपयोग के बारे में कोई संतोषप्रद जवाब ही दिया। प्रथम दृष्टया उक्त मात्रा में डीजल भण्डारण करना अवैध पाया गया जो कि राजस्थान पेट्रोलियम आदेश–1990 की स्वीकृत अधिकतम सीमा 1000 लीटर से अधिक होना पाया गया। लिहाजा मौके पर पाये गये 1800 लीटर डीजल मय आठ ड्रम एवं 4 जरीकेन को कब्जे राज लिया जाकर पुलिस थाना ब्यावर सदर को सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 1990 के खण्ड 15 का उल्लंघन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये 1800 लीटर डीजल मय आठ लोहे के ड्रम एवं 4 जरीकेन को राजसात करने के आदेश हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये, जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सुनवाई चाहने पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार मसूदा को मय जाप्ता के अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही दौरान ग्राम अन्धेरी देवरी के खसरा नं0 1428/927 में अप्रार्थी के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

तथा मौके पर 8 लोहे के ड्रमों एवं 4 प्लास्टिक जरीकेनों में कुल 1800 लीटर डीजल भण्डारित पाया गया जो अप्रार्थी द्वारा अपने बाडे में घास के चारे में छिपाकर रखा हुआ था। बरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा जांच दल के समक्ष उक्त डीजल भण्डारण की अनुमति के संदर्भ में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये एवं ना ही डीजल प्राप्ति एवं उपयोग के बारे में कोई संतोषप्रद जवाब ही दिया। भण्डारित डीजल राजस्थान पेट्रोलियम आदेश–1990 की स्वीकृत अधिकतम सीमा 1000 लीटर से अधिक होना पाया गया। लिहाजा मौके पर पाये गये अवैध रूप से भण्डारित 1800 लीटर डीजल मय आठ ड्रम एवं 4 जरीकेन को कब्जे राज लिया जाकर पुलिस थाना ब्यावर सदर को सुपुर्द किया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 1990 के खण्ड 15 का उल्लंघन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये 1800 लीटर डीजल मय आठ लोहे के ड्रम एवं 4 जरीकेन को राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार को उक्त कार्यवाही करने का विधिक अधिकार नहीं था। तहसीलदार मसूदा द्वारा मौके पर तैयार की गई फर्द जब्ती की प्रति भी अप्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई गई। अप्रार्थी का केवल 1000 लीटर डीजल ही मौके पर था शेष 800 लीटर डीजल पडौसी शोनसिंह का था। मौजूदा प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थी की ओर से कोई साक्ष्य रिकार्ड नहीं की गई है। अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में न्यायहित में प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार मसूदा द्वारा अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही के दौरान ग्राम अन्धेरी देवरी के खसरा नं0 1428/927 में अप्रार्थी के द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण सहित बाडे में घास के चारे में छिपाकर रखा हुआ 8 लोहे के ड्रमों एवं 4 प्लास्टिक जरीकेनों में कुल 1800 लीटर डीजल भण्डारित पाया गया। जिसकी सूचना पर जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र कथनो का जरिए दस्तावेजी साक्ष्य, सबूत के खण्डन नहीं किया गया है। इससे उपरोक्त अवैध कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद आदेश 1990 के खण्ड 15 का उल्लघन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी स्वीकार किया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये 1800 लीटर डीजल मय आठ लोहे के ड्रम एवं 4 जरीकेन को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। जिला रसद अधिकारी, अजमेर राजसात किये गये डीजल का नियमानुसार निस्तारण करवा कर प्राप्त राशि राज्य कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 03.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwa Mohan Sharma
Date: 2019.11.13 17:42:43 IST
Reason: SelfAttested
Location: